पत्रांक :13P/RGSA-20/Fund-10/2025 70(खी0)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 29/10/2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (पुनर्गठित) योजना के क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश मद की रू० 20,00,00,000.00 (बीस करोड़ रूपये) मात्र तथा राज्यांश मद की रू० 13,33,33,333.00 (तेरह करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार तीन सौ तैतीस रूपये) मात्र अर्थात कुल रू० 33,33,33,333.00 (तैतीस करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार तीन सौ तैतीस रूपये) मात्र राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को "राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (पुनर्गठित)" नाम से अनुमोदित करते हुए इसे दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2026 तक के लिए प्रभावी किया था, जिसे पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक–M-11015/123/2026-CB दिनांक–30.09.2026 द्वारा योजना का विस्तार दिनांक–31.03.2027 तक के लिए अथवा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त होने की अवधि तक के लिए किया गया है। 15वीं वित्त आयोग हेतु लागु नियम एवं शर्त्तें इस योजना के लिए भी लागु होगी।

2. इस योजना के तहत पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने, विकेन्द्रीकृत संस्था के रूप में पंचायतों की क्षमता विकसित करने एवं पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना केन्द्र प्रायोजित है, जिसमें केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः 60:40 है।

3. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–F.No.210/IFD/MoPR/2026-27 दिनांक–14.10.2026 द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2026–27) के अंतर्गत केन्द्रांश के रूप में कुल रू० 20,00,00,000.00 (बीस करोड़ रूपये) मात्र राशि विमुक्त की गयी है, जिसके आलोक में राज्यांश मद की राशि रू० 13,33,33,333.00 (तेरह करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार तीन सौ तैतीस रूपये) मात्र विमुक्त की जानी है।

4. उक्त के आलोक में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2026–27) योजना अंतर्गत राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुशंसित एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की गठित Central

Empowered Committee (CEC) के अनुमोदन हेतु प्रेषित वार्षिक कार्य योजना (वित्तीय वर्ष 2026–27) के क्रियान्वयन में केन्द्रांश मद की रू० 20,00,00,000.00 (बीस करोड़ रूपये) मात्र तथा राज्यांश मद की रू० 13,33,33,333.00 (तेरह करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार तीन सौ तैतीस रूपये) मात्र अर्थात कुल रू० 33,33,33,333.00 (तैतीस करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार तीन सौ तैतीस रूपये) मात्र राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना से संबंधित बजट शीर्षों से निम्नरूपेण की जायेगी:–

क्र०	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	राशि (रूपये में)
(क) बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था, पटना हेतु स्वीकृत राशि			
i)	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0215–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विपत्र कोड–16–2515001980215	0215–31–04	₹8,77,20,000.00
		0215–31–05	₹13,33,33,333.00
		0215–31–06	₹11,00,00,000.00
कुल (क)			**₹33,10,53,333.00**
(ख) सभी जिला पंचातय संसाधन संस्था, बिहार हेतु स्वीकृत राशि			
ii)	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0215–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विपत्र कोड–16–2515001980215	0215–31–06	₹22,80,000.00
कुल (ख)			**₹22,80,000.00**
कुल योग (क+ख)			**₹33,33,33,333.00**

6. इस स्वीकृत राशि का व्यय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के नये मार्गदर्शिका (पत्रांक–F.No. 1 (27)/PFMS/2020 दिनांक–13.07.2023) के अनुसार RBI के e-Kuber Platform के द्वारा राशि का परिसीमन / अंतरण / व्यय SNA-SPARSH Model के माध्यम से क्रियान्वयन किया जायेगा।

7. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) परियोजना निदेशक, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था, पटना होंगे, जो वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु राज्य कार्यकारणी समिति द्वारा अनुशंसित वार्षिक कार्य योजना के गतिविधियों के क्रियान्वयन में राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

8. स्वीकृत राशि से प्राथमिकता के आधार पर पूर्व से सृजित देयता का भुगतान किया जायेगा। तदोपरांत वार्षिक कार्य योजना के गतिविधियों के क्रियान्वयन में राशि का व्यय किया जायेगा।

9. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार होंगे, जो सभी जिला पंचायत संसाधन केन्द्रों के संचालन में विभिन्न दैनीक कार्यालय व्यय (अनुलग्नक–2 के अनुरूप) हेतु किया जायेगा।

कृ०पृ०उ०

10. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य स्तर पर नामित क्रियान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) हेतु संयुक्त सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार होंगे, जो राशि की निकासी एवं व्यय SNA-SPARSH Model के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे।

11. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला स्तर पर नामित क्रियान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) हेतु सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार होंगे, जो राशि (अनुलग्नक–1 के अनुरूप) की निकासी एवं व्यय SNA-SPARSH Model के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे।

12. इस स्वीकृत राशि को पंचायती राज विभाग, बिहार (प्रशासी विभाग) द्वारा CFMS पोर्टल पर राज्य एवं जिला स्तरीय क्रियान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) को राशि का Limit प्रदान करेंगे। उपलब्ध करायी गयी राशि का भुगतान पूरी छान–बीन एवं जाँच– पड़ताल के बाद ही किया जायेगा। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

13. इस स्वीकृत एवं आवंटित राशि में से व्यय/उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (GFR-19A एवं BTC-42A) में विभाग को महालेखाकार के समायोजन हेतु 18 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

14. इस स्वीकृत राशि की निकासी हेतु अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा, जिसके आधार पर राशि की निकासी एवं व्यय की जायेगी।

15. इस स्वीकृत राशि के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या 2P/RGSA-20/Fund-10/2025 के पृष्ठ संख्या 59 /टि० पर दिनांक 22/10/26 को प्राप्त है।

16. इस स्वीकृत राशि के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 2P/RGSA-20/Fund-10/2025 के पृष्ठ संख्या 60/टि० पर दिनांक ..... 22/10/26 को प्राप्त है।

17. इस स्वीकृत राशि के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या 2P/RGSA-20/Fund-10/2025 के पृष्ठ संख्या 60/टि० पर दिनांक 23/10/26 को प्राप्त है।

18. इस स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

23/10/26

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 13P/RGSA-20/ Fund-10 /2025 70(स्वी)/ पं०रा०, पटना, दिनांक 29/10/26

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

29/10/26
(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 13P/RGSA-20/ Fund-10 /2025 70(स्वी)/ पं०रा०, पटना, दिनांक 29/10/26

प्रतिलिपि : परियोजना निदेशक, बिहार पंचायत संसाधन संस्था, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

29/10/26
(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 13P/RGSA-20/ Fund-10 /2025 70(स्वी)/ पं०रा०, पटना, दिनांक 29/10/26

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकःयथा उपर्युक्त।

29/10/26
(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 13P/RGSA-20/ Fund-10 /2025 70(स्वी)/ पं०रा०, पटना, दिनांक 29/10/26

प्रतिलिपिः संयुक्त सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–5 एवं 6/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभाग के वेबसाईट पर डालेंगे तथा सभी संबंधितों को ईमेल के माध्यम से सूचित करेंगे।

अनुलग्नकःयथा उपर्युक्त।

29/10/26
(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

Annexure-I

वितीय वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना अंतर्गत जिला पंचायत संसाधन केन्दों को संचालन के लिए तीन माह का कार्यालय व्यय हेतु स्वीकृत राशि

क्र0	जिला का नाम	कार्यालय व्यय हेतु प्रति माह स्वीकृत राशि	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	पटना	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
2	बक्सर	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
3	रोहतास	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
4	भोजपुर	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
5	नालन्दा	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
6	कैमूर	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
7	गया	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
8	नवादा	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
9	औरंगाबाद	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
10	जहानाबाद	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
11	अरवल	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
12	सिवान	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
13	सारण	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
14	गोपालगंज	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
15	मुजफ्फरपुर	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
16	वैशाली	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
17	सीतामढ़ी	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
18	पूर्वी चम्पारण	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
19	पश्चिमी चम्पारण	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
20	शिवहर	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
21	भागलपुर	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
22	बांका	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
23	दरभंगा	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
24	मधुबनी	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
25	समस्तीपुर	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
26	सहरसा	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
27	मधेपुरा	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
28	सुपौल	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
29	पूर्णियाँ	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
30	अररिया	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
31	कटिहार	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
32	किशनगंज	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
33	मुंगेर	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
34	जमुई	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
35	बेगूसराय	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
36	खगड़िया	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
37	लखीसराय	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
38	शेखपुरा	₹ 20,000.00	₹ 60,000.00
कुल योग			₹ 22,80,000.00
कुल राशि (बाइस लाख अस्सी हजार रूपये मात्र)			

(नज़र हुसैन)
विशेष सचिव

अनुलग्नक–2

सभी जिला पंचायत संसाधन केन्द्रों के संचालन हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित राशि का व्यय निम्न कार्यों हेतु किया जा सकेगाः–

1. कार्यालय उपयोग के स्टेशनरी सामग्री का क्रय यथा–A4 पेपर, पेन, पेंसील, फाईल, रजिस्टर, टैग, स्टेपलर, पीन, मार्कर, नोटशीट, लिफाफा इत्यादि।

2. विद्युत कार्य जैसे–बिजली बिल, LED बल्ब, Extension Board, Multi Plug इत्यादि।

3. कम्प्युटर एवं प्रिंटर से संबंधित व्यय जैसे– USB Cable, Mouse, Key-Board, Internet/ Wi-Fi, Pendrive इत्यादि।

4. कार्यालय की स्वच्छता एवं हाउसकिपिंग सामग्री जैसे– हारपिक, फीनाईल, हैंडवास, सेनेटाईजर, डस्टबीन, झारू, पोंछा, डस्टर इत्यादि।

5. प्रशिक्षण/बैठक के आयोजन हेतु आवश्यक सामग्री जैसे–मार्कर, चार्टपेपर, नामपट आदि।

6. अन्य आकस्मिक व्यय जो कार्यालय संचालन के लिए आवश्यक हो तथा जिनका कोई बजटीय प्रावधान न हो।

28.10.26

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव